



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 05.06.2026

साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर द्वारा कूटरचित लिंक क्रिएट कर गेमिंग के नाम पर आर्थिक लाभ का झाँसा देकर आम-जनमानस से वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त गिरोह के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम, ATM कार्ड व कार बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 24.04.2026 को वादी द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर दी गयी तहरीरी सूचना बाबत अज्ञात द्वारा ऑनलाइन गेम में आर्थिक लाभ का लालच देकर रुपये इन्वेस्ट करने के बारे में बताकर उसके द्वारा दिये गये लिंक (<https://1X247.net>, <http://rolex99.co>, <http://wbt99.co>) के माध्यम से झाँसा देकर कुल 9.75 लाख रुपये की धनराशि की वित्तीय धोखाधड़ी करके विभिन्न बैंक खातों में जमा कराकर आहरित कर लिए जाने के सम्बन्ध में साइबर क्राइम पुलिस थाना पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 318(4),319(2),3(5) बीएनएस व 66 सी,66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक अपराध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.04.2026 को साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद फतेहपुर पर ऑनलाइन गेम में आर्थिक लाभ का लालच देकर रुपये इन्वेस्ट का झाँसा देकर कुल 9.75 लाख रुपये की धनराशि की वित्तीय धोखाधड़ी करके विभिन्न बैंक खातों में जमा कराकर धनराशि आहरित कर लिये जाने के सम्बन्ध में साइबर क्राइम पुलिस थाना पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 10/2026 धारा 318(4),319(2),3(5) बीएनएस व 66 सी,66डी आईटी अधिनियम बनाम अज्ञात की विवेचनात्मक कार्यवाहीके अनुक्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा संकलित अभिलेखीय/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुये, साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्रमाणित पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 338 बीएनएस व धारा 9 प्रमोशन एण्ड रेग्यूलेशन आफ आनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की बढोत्तरी करते हुये संलिप्त एक अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम नेढुआ थाना नरैनी जनपद बांदा को दिनांक 04.06.2026 को समय 18.50 बजे गिरफ्तार कर वित्तीय धोखाधड़ी की धनराशि करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन मय सिम व एटीएम बरामद कर आज दिनांक 05.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त विवेक कुमार द्वारा बताया गया कि उसका संपर्क फेसबुक/इंस्टाग्राम के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति से हुआ था। उक्त व्यक्ति ने स्वयं को नेपाल राष्ट्र का निवासी बताया तथा गूगल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए कूटरचित लिंक के माध्यम से गेमिंग के नाम पर आमजनमानस को धनराशि निवेश कराने हेतु प्रलोभित करने की बात कही। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा जनपद बांदा सहित सीमावर्ती जनपदों के युवाओं को गेमिंग लिंक के माध्यम से आर्थिक लाभ का झांसा देकर जोड़ते हुए उनसे धनराशि जमा कराई जाती थी। अभियुक्त ने यह भी बताया कि ग्रामीणों से बैंक खाते प्राप्त कर, उन्हें अपने पिता छोटेलाल के गल्ला व्यवसाय के नाम पर उपयोग में लाया जाता था तथा लिंक मोबाइल नंबर पर स्वयं यूपीआई संचालित कर वित्तीय धोखाधड़ी की धनराशि जमा कराई जाती थी। उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस कार्य हेतु जनपद एवं तहसील स्तर पर एजेंट नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें अभियुक्त एवं उसके साथी के अधीन लगभग 45 एजेंट कार्यरत हैं। इन एजेंटों को जोड़ने हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अभियुक्त के अनुसार काफी समय बाद ज्ञात हुआ कि उक्त अज्ञात व्यक्ति ही इस संपूर्ण नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जो अपनी पहचान छिपाने हेतु नेपाल राष्ट्र के वर्चुअल नंबर का उपयोग करता है। अभियुक्त वर्ष 2024 से इस कार्य से जुड़ा हुआ है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसे इस कार्य में अब तक लगभग 10 लाख रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है तथा प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 15 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता था, जो उसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भेजा जाता था। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि आमजन का विश्वास बनाए रखने हेतु कभी-कभी उन्हें जीत भी दिलाई जाती थी, ताकि वे अधिक धनराशि निवेश करते रहें।

अभियुक्त विवेक कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन करते हुए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. विवेक कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी नेदुआ थाना नरैनी जनपद बांदा उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 487737/- रू0 विभिन्न बैंक खातों में होल्ड।
2. दो एन्ड्रॉयड मोबाइल
3. एक कार महिन्द्रा- XUV 700
4. 7000/-रू0 नगद

गिरफ्तारी/ तकनीकी जाँच करने वाली साइबर क्राइम पुलिस थाना फतेहपुर टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद कमर खान
2. मु0आ0 सुमेश कुमार
3. मु0आ0 अखिलेश उपाध्याय
4. का0 अजय कुमार